IN THE COURT OF THE DEPUTY COMMISSIONER, WEST SINGHBHUM, CHAIBASA

Date	Order	Remarks
27-11-20	सी०सी०ए० केस संख्या–07/2019 राज्य–बनाम–मो० दिल नवाज उर्फ दिल नवाज **आ दे श** यह वाद पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक–231/डी०सी०बी०, दिनांक 11.04.19 के द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी मो0 दिल नवाज उर्फ दिल नवाज, पिता मो0 इकबाल, सा0 धाबी तालाब नीचे टोला, थाना सदर, जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा–3(3)b(i) के अन्तर्गत प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया है। झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3(1) b(ii) में निहित प्रावधान के अनुसार विपक्षी मो0 दिल नवाज उर्फ दिल नवाज को कार्यालय पत्रांक 310(बी)/विधि, दिनांक 24.04.2019 द्वारा तामिला कराने हेतु सूचना निर्गत किया गया। जिसके क्रम में मो0 दिल नवाज उर्फ दिल नवाज द्वारा दिनांक 13.05.2019 को तामिला दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव में आरोपी अमित सिंह के विरूद्ध निम्नवत अपराधिक इतिहास को आधार बनाया गया। 1. सदर थाना काण्ड संख्या 67/14 दिनांक 02.08.14 धारा 379/411 भा0द0वि0 वादी वरुण कुमार शर्मा पित श्री महेन्द्र शर्मा टेलीकॉम, जैन मार्केट थाना सदर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा के लिखित आवेदन के आधा पर प्राथमिकी अभियुक्त मो0 दिल नवाज उर्फ दिल नवाज पिता मो0 इकबाल सा0 बड़ी बाजार धोबी तालाब नीचे टोला थाना सदर चाईबासा के विरुद्ध वादी के दुकान से सैमसंग ग्लैक्सी ग्रैण्ड मोबाईल चोरी करने तथ सी0सी0टी0वी0 फुटेज के माध्यम से पकड़ा जाने के आरोप में अंकित किया। अनुसंधानोंपरान्त अपराधकर्म मो० मो० दिल नवाज उर्फ दिल नवाज के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया है। 2. सदर थाना काण्ड संख्या 29/18 दिनांक 07.03.18 धारा 356/382 भा0द0वि0 के वादी	

Date	Order	Remarks
	शकुंतला देवी पति स्व0 विन्देश्वरी विस्वकर्मा सा0 एम0डी0 रोड नियर कब्रस्तान टुंगरी थाना सदर, जिला चाईबासा के लिखित आवेदन के आधार पर मो0 दिल नवाज उर्फ दिल नवाज पिता मो0 इकबाल सा0 बड़ीबाजार धोबी ताला नीचे टोला के विरुद्ध हथियार दिखा कर वादी के गले में पहने हुए सोना के चौन को लेक भाग जाने के आरोप में अंकित किया गया। अनुसंधान पश्चात काण्ड में अपराधकर्मी मो0 दिल नवाज उर्फ दिल नवाज एवं मो कामिल हसैन उर्फ कामिल विरुट आरोप पत्र समर्पित किया गया है। सदर थाना सनहाः–सदर थाना सनहा संख्या 17/19 दिनांक 11.03.19 समय 18:00 बजे, इस समय दुरभाष पर सूचना मिली कि मो0 दिलनवाज प्रत्येक हिन्दु मुस्लिम तनाव बढ़ा देता है तथा विवाद के सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करता है। सदर थाना सनहाः– सदर थाना सनहा संख्या 30/19 दिनांक 13.03.19 समय 22.20 बजे इस समय स0अ0नि0 चन्द्रदीप राम् सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती के बाद थाना आये और बताये मो0 दिल नवार पिता मो0 इकबाल सा0 बड़ी बाजार पानी तलाब नीचे टोला थाना सदर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा जो अपराध प्रवृति के व्यक्ति है। शहर में आये दिन चेन छिनतई, लूट व चोरी करते है। ये कई बार जेल जा चुके है तथा अपराधकर्मी आसन्न लोक सभा चुनाव के अवसर पर संप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकते है । सामाजिक सदभाव को विगाड़ने की कोशिश में लगे रहते है। होली व राम नवमी त्योहार में हिन्द–मुस्लिर विवाद में बड़–चड़कर हिस्सा लेते है। अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित है कि कुख्यात सक्रिय दुर्दान्त अपराधकर्मी मो0 दिल नवाज उर्फ दिल नवाज गैंग का सदस्य है तथा विगत कई वर्षो से झींकपानी एवं सदर थाना क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र एवं छुपने का स्थान बना रखा है। इस कुख्यात सक्रिय अपराधकर्मी का मुख्य कार्य सदर थाना एवं झींकपानी थाना में चोरी, छिनतई, मारपीट, रंगदारी वसूली तथा सांप्रदायिक समरसता को भंग करना तथा आम जनता में दहशत पैदा करना है। इनसे आम–जनता भयभीत है। इनका अपराधिक गतिविधि के कारण चाईबासा जिला के झींकपानी थाना एक काण्ड एवं सदर थाना में दो काण्ड में	

Date	Order	Remarks
	आरोपित है, जिसका विस्तृत उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में किया गया है। इसके अतिरित इस अपराधकर्मी के विरूद्ध सदर थाना दैनिकी सं0 17/19, दिनांक 11.03.19 एवं सदर थाना दैनिकी सं0 30ध्19 दिनांक 13.03.19 दर्ज किया गया है। जिसका विस्तृत उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में किया गया है। सक्रिय कुख्यात अपराधकर्मी मो0 दिल नवाज उर्फ दिल नवाज, पिता मो0 इकबाल, सा0 धोबी तालाब नीचे टोला, थाना सदर, जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को 1. झींकपानी थाना काण्ड संख्या 26/14, दिनांक–26.06.14 धारा 379/411 भा0द0वि0, 2. सदर था0का0सं0 67/14, दिनांक 02.08.14 धारा 379/411 भा0द0वि0, 3. सदर था0का0सं0 29/18, दिनांक 07.03.18 धारा 356/382 भा0द0वि0, के अर्न्तगत मण्डलकारा चाईबासा के काराधीन थे। वर्तमान में कारा से जमानत पर मुक्त हो गये है। इनके अपराधिक गतिविधि के कारण चाईबासा जिला की लोक शांति व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। पुनः अपराधिक घटना को अंजाम देकर विधि व्यवस्था एवं लोक शांति व्यवस्था भंग कर सकते है। वर्तमान में इनका अपराधिक गतिविधि संदिग्ध है। लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं अपराधिक गतिविधि तथा क्षेत्र में लोक शांति बनाये रखने हेतु अपराधकर्मी मो० दिल नवाज उर्फ दिल नवाज झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3(3)b(i) के अन्तर्गत प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने हेतु आदेश निर्गत किया जाय। मो0 दिल नवाज उर्फ दिल नवाज द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर एक मोका देने हेतु अनुरोध किया गया एवं अधोहस्ताक्षरी को आश्वस्त किया गया कि अभी वो एक शांति प्रिय एवं कानुन का पालन करने वाला नागरिक है। उनके द्वारा भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में उनके विरूद्ध लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं अपराधिक गतिविधि तथा क्षेत्र में लोक शांति बनाये रखने करने संबंधी कोई आरोप इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होगा। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विपक्ष के विरूद्ध चार मामलों का जिक्र पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में किया गया है। जिसमें से तीन मामलों में आरोप पत्र समर्पित है।	

Date	Order	Remarks
	एक वर्ष से अधिक अवधी के दौरान उनके विरूद्ध अपराधिक घटना को अंजाम देकर विधि व्यवस्था एवं लोक शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी किसी प्रकार का आसूचना अप्राप्त है। उक्त परिपेक्ष्य में विपक्षी मो0 दिल नवाज उर्फ दिल नवाज को अंतिम चेतावनी देते हुए इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	